

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020/11 माघ, 1941 (शक)

संख्या 58

अपराह्न 12.45 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. प्रतिज्ञान

श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय, उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने हिन्दी में प्रतिज्ञान किया, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

अपराह्न 12.48 बजे

3. राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 31 जनवरी, 2020 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:—

- (1) आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 (खण्ड एक और खण्ड दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 71(2) के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 16) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसम्बर, 2019 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 16)।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2020 को प्रख्यापित खनिज विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 1)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 12 दिसम्बर, 2019 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

7. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बृजेन्द्र सिंह ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- *(1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, कैप्टीन स्टोर्स विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन और सैनिक विद्यालय (मांग सं० 18 और 21) पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों', के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का पहला प्रतिवेदन।
- *(2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं० 19 और 20) पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन।
- *(3) 'रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं० 20)' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का तीसरा प्रतिवेदन।
- *(4) 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (अनुदान सं० 19 और 20) पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री डी० एन० वी० सेंथिलकुमार एस० ने सहयोग एवं स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक, 2018 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 117वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.52 बजे

(लोक सभा शनिवार, 1 फरवरी, 2020 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*ये प्रतिवेदन 20.12.2019 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किए गए तथा 13.12.2019 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए।

MGIPMRND—4968LS(S3)—31-1-2020.